प्राईवेट सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम 2005 एवं दी राजस्थान प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2022 के अन्तर्गत सिक्युरिटी लाईसेंस हेतु आवेदन प्रकिया

क्र.स.	दस्तावेज का नाम	
1	राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.33(5)गृह–9/2005 पार्ट–5 दिनांक 17.08.2020 के तहत प्रस्तावित निजी सुरक्षा एजेन्सी के नाम में **डिटेक्टिव, इन्वेस्टिगेषन, सर्विलांस,इन्टेलिजेन्स,इन्ट्रोगेषन,फैसेलिटी, लेबर सप्लायर्स** इत्यादी शब्दो के प्रयोग वाले आवेदन स्वीकार नही किये जायेगें।	
2	लाईसेंस फीस का ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक/ई–ग्रास चालान नियंत्रक प्राधिकारी, महानिदेशक, गृह रक्षा राजस्थान जयपुर (Director General & Commandant General, Home Guard, Rajasthan, Jaipur) के नाम से निम्नानुसार देय है :– (i) एक जिले हेतु – 5000/– (ii) पांच जिलों हेतु – 10,000/– (iii) सम्पूर्ण राज्य हेतु – 25,000/– **लाईसेस जारी होने के उपरान्त किसी भी प्रकार के बदलाव (यथा एजेन्सी नाम, कार्यालय पता, एजेन्सी निदेशक/पार्टनर/प्रोपराईटर एवं डुप्लीकेट लाईसेंस प्रति चाहने या अन्य किसी भी बदलाव) करवानें पर नवीन पसारा नियम 2022 के नियम 3(17) के तहत राशि रूपये 2,500/– देय होगी ।**	
3	आवेदन प्रपत्र–I नियम 3,5 के तहत (मुख्य आवेदक द्वारा भरा जावे जिसका नाम लाईसेंस में अंकित किया जाना है।	
4	प्रत्येक आवेदक द्वारा आवेदन निर्धारित प्रपत्र 03 प्रतियों में एवं उपयुक्त स्थानो पर हस्ताक्षरित व सत्यापित प्रस्तुत किये जायेंगे । इसके अतिरिक्त प्रत्येक आवेदक का अन्य जिलो एवं अन्य राज्यो से सम्बंध होने पर प्रत्येक जिले एवं राज्य के हिसाब से दो अतिरिक्त सैट पुलिस सत्यापन हेतु प्रस्तुत किये जायेगें ।	
5	आवेदन प्रपत्र–II नियम 3,5 के तहत (सभी आवेदको द्वारा भरा जावेगा)	
6	यदि पूर्व में लाईसेंस जी किया गया है तो विवरण आवेदन पत्र में कॉलम संख्या ... में अंकित किया जावे ।	
7	प्रत्येक आवेदन प्रपत्र के साथ निम्न दस्तावेज अनिवार्य रूप से संलग्न प्रस्तुत किये जायेंगे :–	
	(अ)	पहचान हेतु प्रत्येक आवेदक को सत्यापित फोटोप्रति (ड्राईविंग लाईसेंस/पेन कार्ड/आधार कार्ड/वोटर कार्ड/पासपोर्ट/मूल निवास प्रमाण पत्र (फोटो युक्त) में से कोई एक) जिसमे फोटो एवं पता प्रमाणित हो ।
	(ब)	भूतपूर्व सेनिक/होमगार्ड/अर्द्ध सेनिक बल, पुलिस का सदस्य होने अनुभव प्रमाण–पत्र **(एक से अधिक आवेदक होने पर सभी के)**
	(स)	प्रारूप संख्या 3 में शपथ पत्र नियम 3(2)/5(1) (एक से अधिक आवेदक होने पर सभी के)
	(द)	भविष्य में पसार एक्ट, 2005 एवं नियम 2022 की पूर्ण पालना हेतु निर्धारित प्रारूप में **(सभी आवेदक द्वारा)** **Form-VI** *(See rule 7(2))* **Affidavit**
	(य)	आवेदक को पसारा एक्त 2005 के तहत भारत के किसी भी राज्य में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी निजी सुरक्षा प्रमाण पत्र। एक से अधिक आवेदक होने की दशा में प्रत्येक आवेदक का नियम 8(1) के तहत जारी सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। **(भूतपूर्व सेनिक/होमगार्ड/अर्द्ध सेनिक बल, पुलिस का सदस्य होने पर 07 दिवस एवं अन्य को 20 दिवस का)**
	(र)	भविष्य में पर्यवेक्षक/गार्डस के प्रशिक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु किसी मान्यता प्राप्त निजी प्रशिक्षण संस्थान से किये गये एम.ओ.यू. की प्रतिलिपी संलग्न किया जाना अनिवार्य है।
	(ल)	प्रस्तावित निजी एजेन्सी कार्यालय, आवेदक का मूल एवं वर्तमान निवास स्थान पता सही होने का निर्धारित शपथ पत्र (50/– रूपये के स्टाम्प पर नोटरीयुक्त सभी आवेदकों द्वारा पृथक –पृथक रूप से प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।)
	(त्र)	लेबर रजिस्ट्रेशन/लाईसेंस तथा जी.एस.टी./ई.एस.आई एवं ई.पी.एफ रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटो प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
	(स)	ई–मेल आई.डी. एवं मोबाईल/दूरभाष नम्बर अंकित किया जाना अनिवार्य है।
8	फर्म पार्टनरशिप डीड/कम्पनी मेमोरेण्डम/सोसायटी बायलोज व रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की फोटोप्रति सभी आवेदकों द्वारा हस्ताक्षर युक्त होगी प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।	
9	साझेदारो/कम्पनी/सोसायटी द्वारा निजी सुरक्षा एजेन्सी लाइसेंस में नाम अंकित कराने हेतु मुख्य आवेदक के रूप में अधिकृत करने का अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC)	
10	कम्पनी/साझेदारो को हटायें और जोड़े गये सदस्यों का फार्म–12 (तारीखवार संक्षिप्त विवरण अंकित हो)	
11	पसारा अधिनियम 2005 एंव नियम 2022 में बताये अनुरूप एजेन्सी की प्रोफाईल (नियम –3(1), 7,8,9,10,12,13 व 14 के तहत पूर्ण विवरण (रूपरेखा))	
12	दी राजस्थान प्राईवेट सिक्युरिटी एजेन्सी (विनियमन) नियम 2002 के नियम 14 के तहत वर्दी का विस्तृत विवरण	
13	एजेन्सी की निर्धारित पूर्ण वर्दी नियम 14 के तहत गार्ड को पहनाया जाकर आगे (Front) पीछे (Back), दायें (Right) एवं बायें (Left) से गार्ड की फोटो व एजेन्सी का लोगो कपड़े पर बना हुआ। (नमूना)	

14	लाईसेसधारी सुरक्षा एजेन्सी द्वारा नवीनीकरण हेतु आवेदन किये जाने की निर्धारित अवधी लाईसेंस समाप्ति से 45 दिवस पूर्व करना अनिवार्य है। लाईसेस नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र के साथ क्र.सं. 1 से 13 के अतिरिक्त निम्नांकित दस्तावेज प्रस्तुत किये जावे **(नवीनीकरण आवेदन लाईसेंस वैधता समाप्ति के 45 दिवस पूर्व आवेदन पत्र प्रस्तुत नही करने पर आवेदन स्वीकार नही किया जायेगा)**	
	(अ)	पूर्व में आवंटित लाईसेंस अवधि में नियोजित किये गये सुरक्षा गार्डो एवं पर्यवेक्षको की सूची एवं एजेन्सी द्वारा प्रारूप – 10 में संधारित रजिस्टर की सत्यापित छाया प्रति प्रस्तुत की जानी अनिवार्य होगी ।
	(ब)	लाईसेंस नवीनीकरण आवेदन करने वाले सभी आवेदको को नवीनीकरण आवेदन नियंत्रक प्राधिकारी को प्रस्तुत करने की तिथी के बाद का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा । नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश संख्या 126–162 (स्थाई आदेश संख्या II/2017 दिनांक 10.02.2017 में निर्धारित अवधि का ही प्रस्तुत किया जावे ।
	(स)	पूर्व में आवंटित लाईसेंस अवधि मे नियोजित किये गये पर्यवेक्षको एवं सुरक्षा गार्डो के नियम 2006 की धारा 8(1) के तहत भारत के किसी भी राज्य में मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थान द्वारा जारी निजी सुरक्षा प्रमाण पत्र। एक से अधिक आवेदक होने की दशा में प्रत्येक आवेदक का नियम 8(1) के तहत जारी सुरक्षा प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है। **(भूतपूर्व सेनिक/होमगार्ड/अर्द्ध सेनिक बल, पुलिस का सदस्य होने पर 07 दिवस एवं अन्य को 20 दिवस का)**
	(द)	दी राजस्थान सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2022 के नियम 7 के तहत सुरक्षा गार्ड एवं पर्यवेक्षकों के चरित्र सत्यापन सम्बंधि दस्तावेज ।
	(य)	दी राजस्थान सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2022 के नियम 9 के तहत सुरक्षा गार्ड एवं पर्यवेक्षकों के स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लाईसेंस अवधि में प्रत्येक वर्षो के होने चाहिये ।
	(र)	पसारा एक्ट के नियम 15(1) के तहत निजी सुरक्षा पर्यवेक्षक व गार्डस के रिकार्ड हेतु संधारित रजिस्टर **(नोमिनल रोल)** की छाया प्रति
	(ल)	मांगकर्ता **(क्लाईन्टस)** एजेन्सीयों की सूची
	(व)	दी राजस्थान प्राईवेट सुरक्षा एजेन्सी (विनियमन) नियम 2022 के अन्तर्गत E.S.I, E.P.F & G.S.T के रजिस्ट्रेशन की छाया प्रति ।
15	**रूपये 50 के स्टाम्प पर निम्न शपथ पत्र दिया जावेगा –**	
	(अ)	सत्यापित गत पांच वर्षो मे आवेदको/गार्डो/पार्यवेक्षको के खिलाफ कोई अभियोग दर्ज नही है एवं नियम 7 के तहत संस्थान मे किसी संस्थान मे किसी भी परिर्वतन/कानूनी वाद की सूचना नियंत्रक प्राधिकारी को दी गई है।
	(ब)	सुरक्षा गार्डो एवं पर्यवेक्षको को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित निति अनुसार पारिश्रमिक भत्ता दिया गया है व E.S.I, E.P.F की कटौती समय पुर्वक करने सम्बंधी शपथ पत्र दिया जावेगा (रूपये 50 के स्टाम्प पर सत्यापित)
	(स)	अधिनियम 2005 की धारा 11 एवं नियम 2022 के नियम 12 के प्रावधानो के अनुरूप रजिस्टर एवं दस्तावेज का संधारित किये जा रहे है।
	(द)	अधिनियम 2005 के अन्तर्गत लाईसेस नवीनीकरण प्राप्त नही होने तथा बिना लाइसेस पूर्व में राजस्थान राज्य में निजी सुरक्षा एजेन्सी का व्यवसाय नही किया गया है।

16	सिक्युरिटी प्रशिक्षण संस्थान लाईसेंस हेतु आवेदन करने की दशा मं निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जावेंगे :–			
	(1)	प्रशिक्षण संस्थान एरिया 2400 वर्ग फीट कमरो को छोड़कर, क्लास रूम अलग होने पर एक किमी से अधिक की दूरी नही होनी चाहिये ।	(6)	प्रशिक्षण की प्रोफाईल/सर्विस रेकार्ड
	(2)	एरिया का नक्शा (Blue Print)	(7)	प्रशिक्षण सलेबस (पाद्यक्रम) NSQF के NOS के अनुरूप
	(3)	ड्रिल की व्यवस्था	(8)	प्रशिक्षण प्रोग्राम NSQF के NOS के अनुरूप
	(4)	प्ले ग्राउण्ड	(9)	प्रशिक्षण हेतु उपकरण NSQF के NOS के अनुरूप
	(5)	पांच कमरे अटैच लेटबाथ (कुल साईज 60X40 फीट) NSQF के NOS के अनुरूप	(10)	प्रशिक्षण एरिया व क्लास रूम के फोटो ग्राफर्स

आज्ञा से
नियंत्रक प्राधिकारी